[TO BE PUBLISED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY
PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Corporate Affairs
Notification

New Delhi the 05th Oct, 2011

G.S.R. (E) -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with section 610B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely :

(1) **Short title and Commencement :-** (1) These rules may be called the Companies (Filing of documents and forms in Extensible Business Reporting Language) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from the 6th October, 2011.

(2) **Definitions:-**

In these rules, unless the context otherwise require,-

(a) "**Act"** means the Companies Act, 1956;
(b) "**Annexure**" means the Annexure enclosed to the rules;
(c) "E**xtensible Business Reporting Language" (XBRL)**, means a standardised language for communication in electronic form to express, report or file financial information by the companies under the Act;
(d) "**Document and forms"** means the documents and forms required to be filed with any authority as specified under the Act or rules or regulations made therein;
(e) "**Taxonomy**" means in extensible Business Reporting Language (XBRL) an electronic dictionary for reporting the business data as approved by the Central Government in respect of any documents or forms indicated in this rule.

(3) **Filing of Balance Sheet and Profit and Loss Account with Registrar:-**

The following class of companies have to file their Balance Sheet, Profit and Loss Account and other documents as required under section 220 of the Companies Act, 1956 with the Registrar using the Extensible Business Reporting Language (XBRL) taxonomy given in Annexure enclosed to the rules for the financial year ending on or after 31st March, 2011 with e-Form no. 23AC-XBRL and 23ACA-XBRL specified under the Companies (Central Government) General Rules and Forms, 1956, namely:-

(i) all Companies listed with any Stock Exchange(s) in India and their Indian subsidiaries; or

(ii) all Companies having paid up capital of rupees five crore or above; or

(iii) all companies having turnover of rupees hundred crore or above.

Provided that the companies in Banking, Insurance, Power Sectors and Non-Banking Financial companies are exempted for Extensible Business Reporting Language (XBRL) filing for the financial year 2010-11.

F.No. 5/18/2005-CL-V

(Avinash K. Srivastava)

Joint Secretary

Annexure

Extensible Business Reporting Language (XBRL) Taxonomy for Balance Sheets and Profit and Loss Accounts as required under section 220 of the Companies Act, 1956 from the year 2010-11.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05...... अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. .... (अ)--केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610 के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (दस्ताबेजों और प्ररूपों को प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा में फाइल करना) नियम, 2011 है ।

(2) ये 6 अक्तूबर, 2011 को प्रवृत होंगे ।

2 परिभाषांए :--इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है ;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है ;

(ग) "प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा" (एक्सबीआरएल) से अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा सूचना अभिव्यक्त करने, सूचना रिपोर्ट करने या वित्तीय सूचना दाखिल करने की इलैक्ट्रानिकी प्ररूप में संसूचना दाखिल करने के लिए मानक भाषा अभिप्रेत है ;

(घ) "दस्तावेज और प्ररूपों" से इस अधिनियम के अधीन या उसके तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में यथा विहित किसी प्राधिकारी के पास दाखिल करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "वर्गीकरण विज्ञान" (टैक्सोनोमी) से केंद्रीय सरकार द्वारा इस विनियम में उपदर्शित किन्हीं दस्तावेजों या प्ररूपों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कारबार डाटा की रिपोर्ट करने के लिए इलैक्ट्रानिकी शब्दकोष में प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा अभिप्रेत है ।

3. रजिस्ट्रार के समक्ष तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा दाखिल करना :--कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग को, कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 में विनिर्दिष्ट ई-प्ररूप सं0 23एसी-एक्सबीआरएल और सं0 23सीए-एक्सबीआरएल का कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अधीन यथा अपेक्षित, 31 मार्च, 2011 को या उसके पश्चात् समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपना तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और अन्य दस्तावेज उपाबंध में दी गई प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा (एक्सबीआरएल) वर्गीकरण विज्ञान का उपयोग करते हुए रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने होंगे, अर्थात् :--

(i) भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध सभी कंपनियां और उनकी भारतीय समानुषंगी कंपनियां ;

(ii) वे सभी कंपनियां, जिनकी संदत्त पूंजी पांच करोड रुपए या उससे अधिक है ; और

(iii) वे सभी कंपनियां, जिनका कारबार सौ करोड रुपए या उससे अधिक है :

परंतु बैंककारी, बीमा, विद्युत सेक्टर और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा (एक्सबीआरएल) में दाखिल करने से छूट प्रदान की गई है ।

एफ0सं0 5/18/2005-सी0एल0-V

अ. कु. श्रीवास्तव
(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव

उपाबंध

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अधीन वित्त वर्ष 2010-11 से यथा अपेक्षित तुलन पत्रों तथा लाभ और हानि लेखों के लिए प्रसारणीय कारबार रिपोर्ट भाषा (एक्सबीआरएल) टैक्सोनोमी